



**वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय**  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम(म.प्र.क्षेत्र), "पंचदीप भवन" नंदानगर इन्दौर-452 011  
फोन-फैक्स 0731-2572560, ई-मेल: [smc-mp@esic.in](mailto:smc-mp@esic.in)

**मध्यप्रदेश क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु वर्तमान में अव्याप्त 29 जिलों के जिला मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति**

एसिक-2.0 एजेण्डा के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मध्यप्रदेश के सभी जिलों में अपनी सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। इस विशाल कार्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने हितलाभाधिकारियों को मध्यप्रदेश के निम्नलिखित 29 जिलों में (जो कि वर्तमान में कराबी योजना के अंतर्गत व्याप्त नहीं हैं) 'जिला मुख्यालयों पर "प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं" उपलब्ध करवाने हेतु निजी क्लिनिकों (बीमा चिकित्सा व्यवसायियों -I.M.P.) एवं निजी नर्सिंग होम/अस्पतालों के संचालकों को सहभागी बनाने का इरादा रखता है, जो कि निम्नलिखित 29 जिलों के जिला मुख्यालयों पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु उत्तरदायी होंगे :-

1.	राजगढ़	2.	सीहोर	3.	विदिशा	4.	श्योपुर	5.	अशोक नगर
6.	शिवपुरी	7.	दतिया	8.	गुना	9.	अलौराजपुर	10.	बड़वानी
11.	झाबुआ	12.	बालाघाट	13.	छिंदवाड़ा	14.	मंडला	15.	डिंडोरी
16.	नरसिंहपुर	17.	सिवनी	18.	बैतूल	19.	हरदा	20.	सीधी
21.	सिंगरौली	22.	छतरपुर	23.	दमोह	24.	पन्ना	25.	टीकमगढ़
26.	अनूपपुर	27.	उमरिया	28.	आगर-मालवा	29.	शाजापुर।		

ऐसे इच्छुक एवं पात्र प्राइवेट क्लिनिकों, नर्सिंग होम्स संचालक/अस्पतालों, जिनके पास अनुभव हो, के मालिक/निदेशक/प्रतिनिधि उचित रूप से भरे हुए "रूचि की अभिव्यक्ति" अधिकतम 24.11.2016 तक [smc-mp@esic.in](mailto:smc-mp@esic.in) ई-मेल पर अथवा उपर लिखित पते पर भेज सकते हैं।

**वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त - म.प्र., इन्दौर**